

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

CEC
28/5/21
प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
देहरादून : दिनांक 25 मई, 2021

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में पी.आई.एल.- 47/2013 (अतिक्रमण हटाओ अभियान) के अन्तर्गत देहरादून शहर के विभिन्न मार्गों में अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक मशीनरी एवं सामग्री प्रबन्धन का कार्य (विस्तृत आगणन) की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक प्रभारी मुख्य अभियन्ता, देहरादून के पत्र संख्या-4196/09(313)याता. -स्तर-1(क्षे.का.)/2020 दिनांक 04.12.2020 एवं पत्र संख्या-123/9(313)याता.- (क्षे.का.)/2020 दिनांक 12.01.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयगत कार्य हेतु गठित आगणन ₹10.13 लाख प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य योजनान्तर्गत प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत कार्य के विस्तृत आगणन, जिसकी लागत ₹10.13 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹10.13 लाख (रुपये दस लाख तेरह हजार मात्र) की कार्योत्तर प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्त/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

चूंकि कार्य अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी आदेश अतिक्रमण हटाओ अभियान, टास्कफोर्स के अनुपालन में कराये गये हैं, अतः आगणन पर प्रशासन के सक्षम अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर कराया जाना सुनिश्चित करें।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कों-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-66/XXVIII(2)/2021 दिनांक 20 मई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव

संख्या- (1)/III(2)/21-20(एम.एल.ए.)/2017TC तदुदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन/गार्ड फाइल।
9. अधीक्षण अभियन्ता, नवम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

आज्ञा से,
(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

550(19)
18
मुख्य अभियन्ता (संयोजन),
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
महोदय,

C-10-II
27/05/21
550-II

आज्ञा से
28/05/21
श्री गौरी
28/5/21



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -1399/III(2)/21-20(MLA)/2017TC
 अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S21050220067
 आवंटन पत्र दिनांक-25-MAY-2021

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
 परिव्यय

04-District and other Roads

337-सड़क निर्माण कार्य

03-राज्य सेक्टर

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-
 800-03-02से स्थानान्तरित)

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का व्यय		योग		
53-वृहद निर्माण				1100000		10000		0		1110000		
योग				1100000		10000		0		1110000		

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
 "नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पुंरसं:- 481 /20 याता0'क' /21

दिनांक- 07-6-21

1-क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

2-अधीक्षण अभियन्ता 09 वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।

3-अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।

4-अधिशाली अभियन्ता, आई0टी0 सैल प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय।

5-कनिष्ठ अभियन्ता (प्रावधिक)/बजट वर्ग प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय।

बरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष